न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कमला अलारिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 78/2015

दायर दिनांकः 07.09.2015

1. रिछपाल सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. बलदेव सिंह पुत्र दारा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

....प्रार्थी

बनाम

1. आत्मा सिंह पुत्र भान सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13 ए राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 01 श्री भागीरथ बिश्नोई,
2. पैरोकार राज तहसीलदार श्रीविजयनगर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 23.03.2022

हस्तगत निर्णय प्रार्थी संख्या संख्या 01 रिछपाल सिंह पुत्र बारासिंह के संबंध में पारित किया जारहा है तथा प्रार्थी संख्या 02 बलदेव सिंह पुत्र दारा सिंह के संबंध में निर्णय पूर्व में दिनांक 05.03.2019 को पारित किया जा चुका है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, अप्रार्थी संख्या एक की तलबी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बंद करने की पालना के बाद इस न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं होने पर उसकी सुनवाई बंद की जाकर प्रार्थी को सुना गया।

संक्षेप में पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या एक से जरिये बैयनामा दिनांक 28.05.1975 को प्रार्थी ने चक 18 जी.बी. के मु.नं.3 का कि.नं. 1 में 15 बिस्वा, किला न. 7 में 5 बिस्वा, किला न. 9 में 10, बिस्वा, किला न. 11 में 1.00, बीघा किला न. 19 में 10 बिस्वा, व किला न. 25 में 9 बिस्वा इस प्रकार कुल 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि क्रय की गई थी जो कि उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 (क) के उल्लंघन में खरीद की होने से प्रार्थी द्वारा नियमितीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जांच करवाई गई व पत्रावली पुनः सुनवाई कर निर्णय करने हेतु माननीय राजस्व मंडल से दिनांक 24.08.2015 को रिमांड की गई। प्रार्थी ने जरिये चालान संख्या 86 दिनांक 01.09.1989 को 2070/रू शमन फीस के एक मुस्त जमा करवा दिये जिसकी रिपोर्ट व चालान की चित्रप्रति पत्रावली में प्रस्तुत की हुई है।

हस्तगत प्रकरण सिर्फ इसलिए विचाराधीन चला आ रहा है कि उक्त भूमि लघु पट्टी में खरीद होने से शमन फीस जमा नहीं करवाने से नियमितीकरण नहीं किया जा सका। प्रार्थी के रिमांड आदेश में एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट अंकित है कि लघु पट्टी के समाप्ति के प्रावधान भूत लक्षी है इसलिए इसका प्रभाव आज नहीं माना जा सकता। इन्हें ऐसा माना जाने योग्य है कि, यह प्रावधान कभी थे ही नहीं। कब्जा काश्त रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगनर से प्राप्त होने पर प्रार्थी का कब्जा होना स्पष्ट रूप से साबित है। यह प्रकरण काफी पुराना है तथा काश्तकार एवं राज्य हित दोनो को देखते हुए माननीय राजस्व मंडल द्वारा जारी निर्देश, कि पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निर्णय किये जाने को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। भूमि का हस्तांतरण होना पूरी तरह से साबित है। इसके साथ का प्रकरण बलदेव सिंह बनाम आत्मा सिंह का निस्तारण इसी अदालत द्वारा दिनांक 05.03.2019 को किया जाकर खरीद शुदा भूमि का नियमितीकरण आदेश जारी किया जा चुका है। अप्रार्थी नं. 1

अति. जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

आत्मा सिंह से ही भूमि बलदेव सिंह ने खरीद की थी व आत्मा सिंह से ही प्रार्थी द्वारा एक ही दिनांक को एक ही मुरब्बा की समान मात्रा में भूमि खरीद की गई थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार शमन फीस पूर्व में जमा होने का तथ्य ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्व मंडल अजमेर के आदेशों के अनुसरण में प्रार्थी रिछपाल सिंह पुत्र बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर को हस्तांतरित की गई भूमि वाके चक 18 जीबी के मु. नं. 3 का कि.नं. 1 में 0.15 बीघा, कि.नं.7 में 0.05 बीघा, कि.नं. 9 में 0.10 बीघा, कि.नं. 11 में 1.00 बीघा, कि.नं. 19 में 0.10 बीघा, कि.नं. 25 में 0.9 बीघा कुल 3.09 बीघा भूमि का धारा 13 ए राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत नियमितीकरण किया जाता है व तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि नियमितीकरण भूमि का प्रार्थी रिछपाल सिंह के नाम बतौर खातेदार दर्ज करे व नियमानुसार प्रार्थी को कब्जा संभलवाये। यदि नियमितीकरण राशि जमा के पश्चात कोई राशि बकाया निकलती है तो प्रार्थी से राशि जमा करावें। नियमितीकरण आदेश अलग से तहसीलदार श्रीविजयनगर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीविजयनगर)